38–(08)–25–2014

पटना में दिनांक–18 नवम्बर, 2014 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	आपदा प्रबंधन विभाग	
1.	"शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011" के नियम 6 के उप नियम (1) को संशोधित कर इस उप नियम में प्रयुक्त "एक क्विंटल" शब्द के स्थान पर "दो क्विंटल" प्रतिस्थापित करने के संबंध में।	1. स्वीकृत।
	उद्योग विभाग	
2.	मे० श्री सीमेन्ट लि०, नई दिल्ली द्वारा औरंगाबाद में 20 लाख मे०टन प्रतिवर्ष क्षमता का सीमेन्ट प्लांट एवं 12 मेगावाट का बॉयोमास बेस्ड कैपटिव पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु कुल ₹ 337.00 (तीन सौ सैतीस) करोड़ लागत से निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति का प्रस्ताव।	2. स्वीकृत।
	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	
3.	बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 यथासंशोधित 2006 के नियम 3 के उप नियम (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य आयोग एवं जिला फोरम के सदस्यों का क्रमशः रू० 20,000/–एवं 15,000/– प्रतिमाह समेमित मानदेय की स्वीकृति।	3. स्वीकृत।
	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	
4.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न दुकानों तक उपलब्ध कराने हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में 285.58 (दो सौ पचासी करोड़ अन्ठावन लाख) रू० की लागत से डोर स्टेप डिलेवरी योजना लागू करने की स्वीकृति के संबंध में।	4. स्वीकृत।
	गृह विभाग	
5.	राज्य आपदा रिस्पॉन्स बल (SDRF) में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों के विरूद्ध बिहार मिलिटरी पुलिस में 30 निरीक्षक (सशस्त्र), 75 अवर निरीक्षक (सशस्त्र), 18 अवर निरीक्षक (संचार) रेडियो ऑपरेटर, 05 सहायक अवर निरीक्षक (आशु लिपिक), 191 हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी/रेडियो ऑपरेटर), 86 हेड कांस्टेबल (चालक) एवं 525 कांस्टेबल सहित कुल 930 छायापदों के सृजन के संबंध में।	5. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

6. नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत राज्य के नगर निकायों को ₹ 7.50 लाख (सात लाख पचास हजार रू० मात्र) तक की योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा अथवा विभागीय रूप से कराने का प्रावधान करने की स्वीकृति के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

7. JnNURM योजना अन्तर्गत राज्य के 13 शहरों/ शहर-समूहों के लिए रूपये 257.1908 करोड़ (दो सौ संतावन करोड़ उन्नीस लाख आठ हजार रू० मात्र) के अनुमानित लागत व्यय पर कुल 591 नई बसों का क्रय, अई०टी०एस० एवं डीपो निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

8. हरियाली मिशन, बिहार सोसायटी के गठन तथा इसके कार्य संचालन के लिए शक्ति प्रदत्त करने हेतु ज्ञापन पत्र एवं उपनियम पर स्वीकृति का प्रस्ताव। — 8. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

9. योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत विकास से संबंधित प्रक्षेत्रों की योजनाओं के सूत्रीकरण, एप्रेजल एवं अनुश्रवण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में मो० 7920000/-(उनासी लाख बीस हजार मात्र) रूपये के अनुमानित व्यय पर 3 (तीन) विशेषज्ञ कोषांगों के गठन के निमित्त उक्त प्रक्षेत्र के अनुभवी एवं दक्ष विशेषज्ञों सहित कुल 18 (अठारह) पदों के सृजन की स्वीकृति। — 9. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

10. केन्द्रीय योजनागत योजना अन्तर्गत षष्टम आर्थिक गणना के सम्पादन के निमित्त वित्तीय वर्ष 2014-15 में मो० 11,41,59,000.00 (ग्यारह करोड़ एकतालिस लाख उनसठ हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर योजना की स्वीकृति। — 10. स्वीकृत।

विधि विभाग

11. पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में संयुक्त न्यायालय भवन (Semi Basement एवं G+7) में कोर्ट रूम, चैम्बर, कार्यालय, मिडियेशन सेन्टर एवं रेकर्ड रूम के निर्माण के निमित्त कुल रू० 45,78,00,000/-(पैंतालीस करोड़ अठहत्तर लाख) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12. विश्व बैंक द्वारा संपोषित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के 07 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के भवन निर्माण हेतु प्रति संस्थान ₹ 1131.00 लाख (ग्यारह करोड़ इकतीस लाख) रूपये की दर से कुल ₹ 7917.00 लाख (उन्नासी करोड़ सतरह लाख) रूपये की स्वीकृत योजना एवं 07 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रति संस्थान ₹ 1000.00 लाख (दस करोड़) रूपये की दर से कुल ₹ 7000.00 लाख (सत्तर करोड़) के स्वीकृत योजना के लिए कुल ₹ 14917.00 लाख (एक सौ उनचास करोड़ सतरह लाख) रूपये में से वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत ₹ 500.00 लाख (पाँच करोड़) रूपये को सामंजित करते हुए शेष बचे ₹ 01,44,17,00,000.00 (एक सौ चौवालीस करोड़ सतरह लाख) रूपये के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

13. विश्व बैंक द्वारा संपोषित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के 08 नवस्थापित अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रति संस्थान ₹ 1131.00 लाख (ग्यारह करोड़ इकतीस लाख) रूपये की दर से कुल ₹ 904800000.00 (नब्बे करोड़ अड़तालीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके व्यय की स्वीकृति तथा विमुक्ति। — 13. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14. विश्व बैंक द्वारा संपोषित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के 05 नवस्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के भवन निर्माण हेतु प्रति संस्थान ₹ 1131.00 लाख (ग्यारह करोड़ इक्तीस लाख) रूपये की दर से कुल ₹ 565500000.00 (छप्पन करोड़ पचपन लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति। — 14. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

15. वित्तीस वर्ष 2014–15 में वाहय संपोषित योजनान्तर्गत राज्य के 03 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण हेतु प्रति महाविद्यालय ₹ 1131.00 लाख (ग्यारह करोड़ एकतीस लाख) रूपये की दर से कुल ₹ 3393.00 लाख (तेंतीस करोड़ तिरानवे लाख) में से वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटित ₹ 918.00 लाख (नौ करोड़ अठारह लाख) रूपये को सामंजित करते हुए ₹ 247500000.00 (चौबीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

16.	शैक्षिक सत्र 2014–15 में सैनिक स्कूल, नालन्दा एवं सैनिक स्कूल, गोपालगंज में अध्ययनरत बिहार के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति एवं पोषाहार मद एवं अध्ययनरत छात्रों के लिए स्थापना मद में कुल संयुक्त राशि ₹ 6,22,39,325/–(छः करोड़ बाईस लाख उनचालीस हजार तीन सौ पच्चीस) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

17.	बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 6800.00 लाख (अड़सठ करोड़ रूपये) के व्यय की स्वीकृति।	17.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

18.	बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–8 (माप एवं तौल) नियमावली, 2014 की स्वीकृति के संबंध में।	18.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

19.	बिहार कृषि प्रयोगशाला सहायक संवर्ग नियमावली, 2014 की स्वीकृति के संबंध में।	19.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

20.	बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–1 (शष्य) नियमावली, 2014 की स्वीकृति के संबंध में।	20.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

21.	बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–05 (पौधा संरक्षण) सेवा नियमावली, 2014 की स्वीकृति के संबंध में।	21.	स्वीकृत।

उद्योग विभाग

22.	वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार का अंशदान रूपये 3000.00 लाख (तीस करोड़) सब्सिडी की स्वीकृति का प्रस्ताव।	22.	स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

23	बिहार राज्य चीनी निगम लि० की हथुआ इकाई में पड़े एक अदद Vintage Narrow Gauge Steam Lacomotive को पूर्व मध्य रेलवे के Heritage Park में रखने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।	23.	स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

24.	श्री धनश्याम झा, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा (सम्प्रति प्रभारी सहायक निदेशक, कोशी अंचल, सहरसा) को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध मे।	24.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग
(कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय)

25.	दुर्गावती जलाशय योजना (पुनरीक्षित–वृहत), बिहार के कमाण्ड क्षेत्र हेतु दुर्गावती जलाशय कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन योजना जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 14949.49 लाख (एक अरब उनचास करोड़ उनचास लाख उनचास हजार रूपये) है, की प्रशासनिक स्वीकृति, उक्त योजना को सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना द्वारा कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना को कार्य मद में कुल रू० 975.00 लाख (नौ करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) सहाय्य अनुदान की स्वीकृति।	25.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग
(कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय)

26.	पुनपुन बराज योजना (पुनरीक्षित–वृहत), बिहार के कमाण्ड क्षेत्र हेतु पुनपुन बराज कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन योजना जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 6076.787 लाख (साठ करोड़ छिहत्तर लाख अठहत्तर हजार सात सौ रूपये) है, की प्रशासनिक स्वीकृति, उक्त योजना को सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना द्वारा कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना को कार्य मद में कुल रू० 25.00 लाख (पच्चीस लाख रूपये) सहाय्य अनुदान की स्वीकृति।	26.	स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

27. राज्य की ग्राम कचहरियों को जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम 1000.00 रू० (एक हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में 4.00 करोड़ रू० (चार करोड़ रूपये) ग्राम कचहरियों को अनुदान स्वरूप राशि की स्वीकृति। — 27. स्वीकृत।

निगरानी विभाग

28. निगरानी विभाग के नियंत्रणाधीन विशेष निगरानी इकाई के लिए वाहन चालक {पे बैण्ड–I (5200– 20200)+ ग्रेड पे 1900} के 04 (चार) पदों का सृजन की स्वीकृति। — 28. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

29. योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु सृजित पदों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय हेतु सहायक अनुदान के रूप में 4.00 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में। — 29. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

30. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2014–15 एवं पूर्व वर्षो (2011–12, 2012–13 एवं 2013–14) में ली गई योजनाओं के वित्तीय सम्पोषण हेतु 782.4612 करोड़ रूपये के व्यय के प्रस्ताव पर दिनांक–10.06.2014 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की कंडिका–5 तथा कंडिका–7 में संशोधन कर बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को राशि उपलब्ध कराने के संबंध में। — 30. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

31. योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 'क' में अतिरिक्त उपकंडिका–(iii) के प्रावधान को सम्मिलित किये जाने से संबंधित दिशा–निर्देश में संशोधन के संबंध में। — 31. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

32. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु दिए गये ऋण के विरूद्ध दिनांक–05.01.2015 के पूर्व ब्याज मद के भुगतान हेतु बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से ₹ 4,05,37,000.00 (चार करोड़ पाँच लाख सैंतीस हजार) अग्रिम की स्वीकृति। — 32. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

33. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु दिए गये ऋण के विरूद्ध दिनांक–05.01.2015 के पूर्व ऋण मद का मूल किश्त में भुगतान हेतु बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से ₹ 4,37,79,000.00 (चार करोड़ सैंतीस लाख उनासी हजार) अग्रिम की स्वीकृति। — 33. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

34. गैर–योजनान्तर्गत राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा पटना का वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 1,11,44,000/– (एक करोड़ ग्यारह लाख चौवालीस हजार) रूपये मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 34. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

35. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग I-VIII में नामांकित छात्र–छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु "मुख्यमंत्री पोशाक योजना" एवं "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना" के अन्तर्गत कुल ₹64800.00 लाख/–(छः अरब अड़तालीस करोड़ रूपये) मात्र रूपये अनुदान की राशि के व्यय की स्वीकृति। — 35. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

36. वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत शेष केन्द्रांश 10443.29 लाख (एक अरब चार करोड़ तैंतालीस लाख उन्नतीस हजार) एवं राज्यांश 3491.33 लाख (चौंतीस करोड़ इकानवे लाख तैंतीस हजार) सहायक अनुदान मद की स्वीकृति एवं जैसे–जैसे केन्द्रांश की राशि प्राप्त होगी वैसे–वैसे अनुपातिक राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि की विमुक्ति की स्वीकृति तथा तत्काल वित्तीय वर्ष 2009–13 तक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन हेतु स्वीकृति एवं प्रतिपूर्त्तित केन्द्रांश ₹ 1000.97 लाख (दस करोड़ सतांनवे हजार) के वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति। — 36. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा)

37. राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में सरकारी विद्यालयों, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय, प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त), प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत सामान्य कोटि की 17,58,251 छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹ 20077.08 लाख (दो अरब सतहत्तर लाख आठ हजार) के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में। — 37. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

38. नालन्दा जिलान्तर्गत कतरीसराय अंचल के मौजा–विलारी, थाना नं०–305, खाता सं०–418, खेसरा सं०–2657, रकबा–6.05 एकड़ गैर मजरूआ आम किस्म 'नदी' भूमि स्टेडियम निर्माण हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 38. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

39. बिहार अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (BUTSL) कार्यालय हेतु रू० (84,60,000.00/– चौरासी लाख साठ हजार रू० वार्षिक) अनुमानित व्यय पर 19 पदों के सृजन की स्वीकृति। — 39. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

40. बिहार नगरपालिका लेखा हस्तक 2014 की स्वीकृति। — 40. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

41. पंचदश बिहार विधान सभा का पंचदश–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् का 178वें सत्र (शीतकालीन सत्र) का औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में। — 41. स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

42. लघु जल संसाधन विभाग, बिहार में संविदा के आधार पर कार्यरत 153 कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) को अगले एक वर्ष तक के लिये पुर्ननियोजित करने के संबंध में। — 42. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

43. बिहार अवर निरीक्षक उत्पाद संवर्ग नियमावली 2014 की स्वीकृति के संबंध में। — 43. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

44. जहानाबाद, सहरसा, सीवान, सासाराम, बेतिया, नवादा, मधुबनी, मधेपुरा, खगड़िया, लखीसराय, बक्सर एवं सीतामढ़ी में 50 आवासीय क्षमतावाले पर्यवेक्षण गृह तथा गया में 50 आवासीय क्षमतावाले एक बाल गृह का भवन निर्माण प्रति गृह 5,99,89,440/–(पाँच करोड़ निनायवें लाख नवासी हजार चार सौ चालीस) की दर से कराने हेतु कुल रूपये 77,98,62,720/–(सतहत्तर करोड़ अंठानवे लाख बासठ हजार सात सौ बीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

44. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

45. पैक्सों तथा व्यापारमंडलों में चावल मिल सह गैसीफायर की स्थापना हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2014–15 के लिए कुल 14.60 करोड़ रूपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से प्राप्त कर सहकारी बैंकों के माध्यम से उक्त सहकारी समितियों को गैसीफायर की स्थापना हेतु कुल 14.448 करोड़ रूपये का 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूंजी (Revolving Capital) के रूप में उपलब्ध कराने तथा आकस्मिकता मद में कुल 15.20 लाख रूपये व्यय हेतु योजना की स्वीकृति।

45. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

47. कैमूर जिलान्तर्गत मोहनिया अंचल के मौजा–खैरी, थाना नं०–492, चक खाता सं०–66, चक खेसरा नं०–86 एवं 87 के रकबा क्रमशः 0.50 एकड़ एवं 0.09 एकड़ कुल रकबा–0.59 एकड़ (उनसठ डिसमिल) अनावाद बिहार सरकार किस्म भीठ–II भूमि Special Plan (B.R.G.F) योजना के अधीन 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द निर्माण हेतु 8,000/–रू० प्रति डिसमिल के दर से 472000/–रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात 23,600/–रू० का 25 गुणा अर्थात 5,90,000/–रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 10,62,000/–(दस लाख बासठ हजार) रू० के भुगतान पर साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

47. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

48. नालंदा जिलान्तर्गत एकंगरसराय अंचल के मौजा–मुशहरी, थाना नं०–125, खाता नं०–155, खेसरा नं०–895, रकबा–0.50 एकड़ (पचास डिसमिल) गैरमजरूआ मालिक किस्म पुरानी परती भूमि 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 20,000/–रू० प्रति डिसमिल के दर से 10,00,000/–(दस लाख) रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात् 50,000/–रू० का 25 गुणा अर्थात् 12,50,000/–रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 22,50,000/–(बाईस लाख पचास हजार) रू० के भुगतान पर साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

48. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

49. कैमूर जिलान्तर्गत रामगढ़ अंचल के मौजा–कल्याणपुर, थाना नं०–375, खाता सं०–162, खेसरा नं०–248, रकबा–0.59 एकड़ (उनसठ डिसमिल) अनावाद सर्वसाधारण, क्रीड़ा स्थल एवं रामलीला मैदान किस्म धनहर–I भूमि Special Plan (B.R.G.F) योजनान्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 5800/–रू० प्रति डिसमिल के दर से 3,42,200/–रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात 17,110/–रू० का 25 गुणा अर्थात 4,27,750/–रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 7,69,950/–(सात लाख उनहत्तर हजार नौ सौ पचास) रू० के भुगतान पर साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

49. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

50. कैमूर जिलान्तर्गत भगवानपुर अंचल के मौजा–पौरा, थाना नं०–909, खाता सं०–95, की खेसरा सं०–292, 293, 294, 285 एवं 286 का रकबा क्रमशः 0.60, 1.15, 0.56, 2. 04 एवं 0.05 एकड़ कुल रकबा–4.40 एकड़ (चार एकड़ चालीस डिसमिल) अनावाद बिहार सरकार किस्म भीठ–II /पुरानी परती भूमि ग्रीड सब स्टेशन निर्माण हेतु 2200/–रू० प्रति डिसमिल के दर से 9,68,000/–रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात 48,400/–रू० का 25 गुणा अर्थात 12,10,000/–रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 21,78,000/–रू० (एक्कीस लाख अठहत्तर हजार) के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

50. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

51. राजीव आवास योजना के अंतर्गत मलिन बस्तियों में आवासित लाभुकों के लिए पटना, गया, दरभंगा, कटिहार तथा पूर्णिया कुल राशि–45465.40 लाख रूपये (चार सौ चौवन करोड़ पैंसठ लाख चालीस हजार रू० मात्र) के व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। — 51. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

52. बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के गया में प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना के अन्तर्गत कुल ₹ 1,39,00,00,000 (एक सौ उन्चालीस करोड़) रूपये मात्र के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति। — 52. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

53. पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत भलूआ से पहाड़पुर पथ के कि०मी० 0.00 से 26.325 (कुल 26.325 कि०मी० पथांस लंबाई) में ड्रेन/क्रॉस ड्रेन कार्य, पुल/पुलिया निर्माण कार्य, बचाव कार्य, विविध कार्य, आकस्मिकता कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन/IRQP कार्य कुल 6440. 47 लाख (चौसठ करोड़ चालीस लाख सैंतालीस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 53. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

54. पथ प्रमंडल, जहानाबाद के अन्तर्गत बैरागीबाग से वाणवार भाया पिंजेरा, नवाबगंज, विष्णुगंज पथ के कि०मी० 0.00 से 28.25 (कुल 28.25 कि०मी० पथांश लंबाई) में पी०सी०सी० कार्य, ड्रेन/क्रॉस ड्रेन कार्य, बचाव कार्य, विविध कार्य आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन/IRQP कार्य कुल 3032.98 लाख (तीस करोड़ बत्तीस लाख अनठानवे हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में — 54. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

55. पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत धनगाई बाजार से बी०बी० पेसरा–शोभ से जी०टी० पथ तक के कि०मी० 0. 00 से 14.10 (कुल 13.653 कि०मी० पथांश लंबाई) में पी०सी०सी० कार्य, ड्रेन/क्रॉस ड्रेन कार्य, पुल/पुलिया कार्य, बचाव कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन/IRQP कार्य कुल 4884.35 लाख (अड़तालीस करोड़ चौरासी लाख पैंतीस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 55. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

56.	पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत गया–परैया–गुरारू–कोइलवा मोड़ पथ के कि०मी० 4.20 से 28.70 (कुल 24.50 कि०मी० पथांश लंबाई) में ड्रेन/क्रॉस ड्रेन कार्य, पुल/पुलिया कार्य विविध कार्य आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन/IRQP कार्य कुल 4300.55 लाख (तैंतालीस करोड़ पचपन हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	56. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

57.	राज्य के जिला मुख्यालयों से राजधानी, पटना की यात्रा महज 6 (छः) घन्टों के भीतर संभव करने के प्रयोजनार्थ राज्य उच्च पथों (पथ प्रमंडल, छपरा अन्तर्गत SH-73 का 42.89 कि०मी०, पथ प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत SH-74 का 39.30 कि०मी० एवं पथ प्रमंडल सं०–1, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत SH-74 का 47.80 कि०मी०) के कुल 129.99 कि०मी० पथांश लंबाई में IRQP कार्य कुल 7519.20 लाख (पचहत्तर करोड़ उन्नीस लाख दो हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	57. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

58.	पथ प्रमंडल, नवादा के अन्तर्गत एन०एच०–31 नवादा–बरेब अड्डा से नेमदारगंज–बकसौती–गोविन्दपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 18.00 (कुल 18.00 कि०मी० पथांश लंबाई) में पी०सी०सी० कार्य ड्रेन/क्रॉस ड्रेन कार्य पुल/पुलिया निर्माण कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन/ IRQP कार्य कुल 4310.25 लाख (तैंतालीस करोड़ दस लाख पच्चीस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	58. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

59.	दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के अन्तर्गत कुल 13 (तेरह) अदद पथों के कुल 242.808 कि०मी० पथांश हेतु यथा संलग्न परिशिष्ट–"क" के स्तंभ–2 में अंकित कार्य, कुल 51121.75 लाख (पाँच सौ ग्यारह करोड़ इक्कीस लाख पचहत्तर हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	59. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

60. पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत बी०बी० पेसरा से कुरमामा भदैया लाडू पथ के कि०मी० 0.00 से 13.80 (कुल 13.80 कि०मी० पथांश लंबाई) में पी०सी०सी० कार्य, ड्रेन/क्रॉस ड्रेन कार्य, बचाव कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन/IRQP कार्य कुल 2183.58 लाख (इक्कीस करोड़ तेरासी लाख अनठावन हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

60. स्वीकृत।